

Particulars of Account

Account number	Date	Name of Account office	Amount

The authority mentioned above has agreed to accept the pledge. A pledge acceptance duly signed by the competent authority as pledgee is attached.

Dated :

Signature of account holder(s)/guardian

Address

For office use only

Account number _____ has been pledged vide registration no. dated and necessary entries have been marked in the record. Passbook/deposit receipt/statement of account has also been marked with pledge and returned to the account holder.

Signature of Post Master/Manager

Seal

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 920(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1.) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम किसान विकास पत्र स्कीम, 2019 है।

(2.) यह राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा:

(1) इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;

(ख) "खाता धारक" से जिसके नाम खाता धारित हो वह व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इस स्कीम से संगलन प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "साधारण नियम" से सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है।

(च) "वर्ष" से खाता में राशि जमा करने की तारीख से शुरू होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है।

(2) यहां जो शब्द और अभिव्यक्ति प्रयुक्त किए गए हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, उनका क्रमसह वही अर्थ होगा जो अधिनियम और सामान्य नियम में दिए गए हैं।

3. खातों के प्रकार-(1) प्ररूप-1 में खाते कार्यालय के लिए किसी आवेदन पर स्कीम के अधीन निम्नलिखित प्रकार के खातों को खोला जा सकेगा; अर्थात्

(क) एकल धारक प्रकार का खाता;

(ख) संयुक्त 'क' प्रकार का खाता; और

(ग) संयुक्त 'ख' प्रकार का खाता।

(2) (क) एकल प्रकार का खाता किसी वयस्क द्वारा अपने लिए या अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति के नाम से, जिसका वह अभिभावक है या दस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके अवयस्क द्वारा खोला जा सकता है।

(ख) संयुक्त 'क' प्रकार का खाता तीन वयस्कों के नाम से संयुक्त रूप से खोला जा सकता है जो संयुक्त रूप से सभी धारकों या उत्तरजीवितों को संदेय होगा।

(ग) संयुक्त 'ख' प्रकार का खाता तीन वयस्कों के नाम से संयुक्त रूप से खोला जा सकता है जो किसी भी एकधारक या उत्तरजीवितों में से किसी एक को संदेय होगा।

4. जमा -(1) न्यूनतम एक हजार रुपये और इसके बाद एक सौ रुपये के गुणकों में राशि खाते में जमा की जा सकती है।

(2) खाताधारक के खाते या खातों में जमा के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

(3) व्यक्ति अनेक खाते खोल सकता है।

5. परिपक्वता की अवधि - (1) खाते में जमा की गई राशि परिपक्वता पर दोगुनी हो जाएगी किसी खाते की परिपक्वता की अवधि नौ वर्ष और जमा करने की तारीख के आरम्भ से पांच माह होगी। परिपक्वता की राशि कार्यालय खाते में प्रस्तुत किए जाने वाली प्ररूप-2 में किसी आवेदन पर खाते धारक को पुर्नसंदाय की जा सकेगी।

(2) इस स्कीम के अधीन जमा की परिपक्वता अवधि का निर्धारण खाता खोलने के समय लागू ब्याज दर के आधार पर लगाया जाएगा।

6. परिपक्वतापूर्व खाता बंद करना- (1) निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर परिपक्वता से पूर्व किसी भी समय खाता कार्यालय के प्ररूप-3 में किसी आवेदन को करके खाता धारक द्वारा परिपक्वता पूर्व खाता बंद किया जा सकता है, अर्थात्:

(क) एकल खाते में खाता धारक या संयुक्त खाते में किसी एक अथवा सभी खाता धारकों की मृत्यु होने पर;

(ख) गिरवीकार द्वारा राजपत्रित सरकारी अधिकारी होने के नाते समपहरण किए जाने पर;

(ग) न्यायालय के आदेश पर।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन खाता बंद होने पर पूरे महीनों के लिए समय-समय पर डाकघर बचत खाता के लिए लागू दर पर की गई गणना को साधारण ब्याज के साथ मूलधन को, जिसमें खाता धारित हो, संदाय किया जाएगा।

(3) उप-पैरा (2) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, यदि खाता खोलने की तारीख से दो वर्ष छह मास के अवसान के पश्चात खाता बंद किया जाता है, ब्याज सहित रकम को नीचे दी गई सारणी में यथा निर्दिष्ट रूप से संदेय की जाएगी।

1,000 रुपये के साथ अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात परिपक्वतापूर्व खाते की मूल्य को दर्शित करने वाली सारणी

सारणी

वह अवधि जिस तारीख को खाते की परिपक्वतापूर्व बन्द करने की तारीख	ब्याज सहित देय राशि (रुपये)
(1)	(2)
दो वर्ष और छह मास किंतु तीन वर्ष से कम	1173
तीन वर्ष किंतु तीन वर्ष और छह मास से कम	1211
तीन वर्ष और छह मास किंतु चार वर्ष से कम	1251
चार वर्ष किंतु चार वर्ष और छह मास से कम	1291
चार वर्ष और छह मास किंतु पांच वर्ष से कम	1333
पांच वर्ष किंतु पांच वर्ष और छह मास से कम	1377
पांच वर्ष और छह मास किंतु छह वर्ष से कम	1421
छह वर्ष किंतु छह वर्ष और छह मास से कम	1467
छह वर्ष और छह मास किंतु सात वर्ष से कम	1515
सात वर्ष किंतु सात वर्ष और छह मास से कम	1564
सात वर्ष और छह मास किंतु आठ वर्ष से कम	1615
आठ वर्ष किंतु आठ वर्ष और छह मास से कम	1667
आठ वर्ष और छह मास किंतु नौ वर्ष से कम	1722
नौ वर्ष किंतु प्रमाणपत्र की परिपक्वता से पूर्व	1778
प्रमाणपत्र की परिपक्वता पर	2000

7. **खाता गिरवी रखना-** गिरवी रखने वाले के स्वीकृति पत्र के समर्थन में प्ररूप-4 में जमाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर किसी खाते को गिरवी रखा जा सकता है या प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है।

(2). इस स्कीम के अधीन खाते का अंतरण निम्न अनुसार किया जाएगा –

(क) भारत के राष्ट्रपति या अपनी शासकीय हैसियत में राज्य के राज्यपाल;

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक या एक सहकारी बैंक सहित एक अनुसूचित बैंक या एक सहकारी समिति;

(ग) एक सार्वजनिक या निजी निगम या एक सरकारी कंपनी;

(घ) एक स्थानीय प्राधिकरण; या

(ङ) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी;

परंतु यह कि अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से खोले गए खाते के स्थानांतरण को इस स्कीम के अधीन तब तक नहीं अनुज्ञात की जाएगी, जब तक कि अवयस्क का अभिभावक या विकृत चित्त व्यक्ति, यथास्थिति, लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति जीवित है और यह कि स्थानांतरण अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति के लाभ के लिए है।

(3) जब किसी भी खाते को उप-पैरा (1) के अधीन प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरित किया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी, बचत प्रमाणपत्र सहित खाते के अभिलेख में निम्नलिखित पृष्ठांकित करेगा, :-

"..... प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरण"।

(4) इस स्कीम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय इस पैरा के अधीन किसी खाते का अंतरण कर्ता तब तक किया जाएगा, जब तक कि इसे उप-पैरा (5) के अधीन वापस स्थानांतरित नहीं किया जाता है, जमाकर्ता माना जाता है।

(5) इस स्कीम के अधीन अंतरण किया गया एक खाता, अंतरण कर्ता के लिखित प्राधिकार पर, प्राधिकृत अधिकारी के लिखित पूर्व अनुमोदन के साथ वापस पुनःस्थानांतरित किया जा सकता है और जब कोई भी कोई इस प्रकार का स्थानांतरण किया जाता है, तो लेखा कार्यालय का प्राधिकृत अधिकारी प्रमाण पत्र सहित, खाते के अभिलेख में निम्नलिखित पृष्ठांकित करेगा :-

" ... में पुनःस्थानांतरित कर दिया"।

(6) एक नेत्रहीन व्यक्ति या शारीरिक अंग-शैथिल्य वाला व्यक्ति जो खाता संचालित करने में असमर्थ है, वह किसी भी साक्षर व्यक्ति के माध्यम से अपनी जमा राशि को गिरवी रख सकता है जिसे वह इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करता है।

8. खाता का अंतरण :- एक व्यक्ति से अन्य दूसरे को खाता का अंतरण इस शर्त के अधीन होगा कि अंतरण कर्ता निम्नलिखित मामलों में, इस स्कीम के अधीन खाता खोलने का पात्र हो, अर्थात्:

- (i) एकल खाता के मामले में खाताधारक की मृत्यु होने पर अथवा संयुक्त खाता में सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर, राशि विधिक उत्तराधिकारियों या नामनिर्देशितों, यथास्थिति को स्थानांतरित की जाएगी।
- (ii) न्यायालय के आदेश पर, खाताधारक से न्यायालय अथवा न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाएगा;
- (iii) गिरवी रखने पर, खाता पैरा-7 के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा;
- (iv) संयुक्त खाते में किसी भी खाताधारक की मृत्यु हो जाने की दशा में, उत्तरजीवित खाताधारक या खाताधारकों, यथास्थिति, के नाम पर स्थानांतरित होगा।

9. खाता धारक की मृत्यु होने पर संदाय—(1) एकल खाता में खाताधारक की या संयुक्त खाता में सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर नामनिर्देशिनी को यदि नामनिर्देशन विद्यमान है या उसके विधिक वारिस (वारिसों) को जमा किया जाएगा।

(2) जहां तीन से अधिक उत्तरजीवित नामनिर्देशिनी या विधिक वारिस नहीं हैं, तो वे, अपनी विकल्प से खाता जारी रख सकते हैं और इस स्कीम में उपबंध की गई रीति में परिपक्वता पर ब्याज सहित जमा राशि को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे की यदि वे खाता उन्होंने स्वयं खोला था।

(3) जहां उप-पैरा (2) के अधीन खाता जारी नहीं रखा जाता है, तो उसे बंद कर दिया जाएगा और पैरा 6 में उपबंध के अनुसार खाते में बकाया जमाराशि का ब्याज सहित पुनर्भुगतान किया जाएगा।

(4) संयुक्त खाते में एक अथवा दो खाताधारकों की मृत्यु होने पर, उत्तरजीवित खाताधारक(कों) को खाता का स्वामी माना जाएगा और वे खाताधारक उप-पैरा (2) के अधीन खाता जारी रख सकते हैं या उप-पैरा (3) के तहत इसको बंद कर सकते हैं।

10. साधारण नियम का लागू होना - साधारण नियम के उपबंध, उन मामलों के संबंध में भी लागू होंगे, जिनके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।

11. छूट देने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होती है कि इस स्कीम के किसी उपबंध के प्रचालन से खाताधारक को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लिखित रूप में अभिलेख करते हुए इसके कारणों के लिए आदेश द्वारा अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के लिए जो असंगत न हो उस रीति में उस उपबंध से छूट दे सकती है।

[फा. सं. 2/2/2018 एनएस(भाग-I)]

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररूप-1

**[पैरा 1 का उप पैरा (1) देखें]
(खाता खोलने के लिए आवेदन)**

सेवा में

पोस्टमास्टर / प्रबंधक

.....
.....

आवेदक/आवेदकों की फोटो चिपकाएँ

महोदय ,

मैं/हम..... (खाताधारक (खाताधारकों)/अभिभावक), आपके डाकघर / बैंक में किसान विकास पत्र स्कीम के अधीन एक खाताखोलने के लिए आवेदन करते हैं।

मैं/हम..... प्रारंभिक जमा के रूप में तारीख रुपए नकद/चेक/डीडी में..... तारीख के रूप में(रु.....) निविदा करते हैं। मेरी / हमारे विवरण इस प्रकार हैं

1. प्रथम जमाकर्ता

.....

पति/पिता/माता का नाम या न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक का नाम

.....

जन्म तिथि

(तारीख / मास / वर्ष)

(शब्दों में).....

2. दूसरा जमाकर्ता

.....

पति / पिता / माता का नाम

जन्म तिथि

.....

(तारीख / मास / वर्ष)

(शब्दों में).....

3. तीसरा जमाकर्ता

.....

पति/पिता/ माता का का नाम

.....

जन्म तिथि

.....

(तारीख / मास / वर्ष)

(शब्दों में)

4. अवयस्क / विकृत चित्त खाता धारक के व्यक्ति का नाम

.....

पिता /माता / अभिभावक का नाम

.....

जन्म तिथि

.....

(तारीख / मास / वर्ष)

(शब्दों में)

5. खाताधारक(खाताधारकों) की आधार संख्या

.....

6. खाताधारक (खाताधारकों) का स्थायी खाता संख्या (पैन)

.....

7. वर्तमान पता

.....

.....

.....

स्थायी पता

.....

.....

8.संपर्क विवरण

टेलीफोन का नंबर

मोबाइलनंबर

ईमेल

आईडी.....

9. खाता का प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से या विकृत चित्त या नेत्रहीन या निशक्त व्यक्ति के लिए अभिभावक के माध्यम से या एकल या संयुक्त ।

10. (*) अवयस्क की जन्मतिथि का विवरण.....

(अवयस्क के खाते के मामले में लागू)

क) प्रमाण पत्र नं.

ख) जारी करने की तिथि

ग) जारी करने वाला प्राधिकरण

11. (*) अभिभावक का नाम (प्राकृतिक/विधिक)

(यदि खाता अवयस्क/ विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से खोला जाता है)

12. केवाईसी के अन्य दस्तावेजों का विवरण संलग्न 1. पहचान का प्रमाण

2. पते का सबूत

पहचान और पते के प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों के रूप में स्वीकार किया जाता है: 1. पासपोर्ट 2. चालक अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जारी जाव कार्ड 5. नाम और पते के विवरण को अंतर्विष्ट करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी किया गया पत्र;

13. खाते का संचालन होगा:-
या जीवित धारक/धारकों ।

(a) सभी धारकों द्वारा एक साथ

(संयुक्त खाते के मामले में)

(b) धारक/धारकों, या जीवित

जमाकर्ता/ जमाकर्ताओं के द्वारा,

14. मेरा/हमारा नमूना हस्ताक्षर

1.....2..... 3.,.....
(नाम).....

1.....2..... 3.....
(नाम).....

1..... 2..... 3.....
(नाम).....

1..... 2..... 3.....
(नाम).....

मैं समय-समय जारी किए गए संशोधनों और स्कीम पर लागू सरकारी बचत संवर्धन नियमों -2018 और स्कीम के उपबंधों को जारी करता हूँ।

खाता धारक/अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
तारीख :.....

नामनिर्देशन

16. मैं/हम नीचे उल्लेखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामनिर्देशित करते हैं, जिन्हें मेरी मृत्यु की स्थिति में अन्य सभी व्यक्तियों को बाहर करने की राशि मेरे पास है मेरी मृत्यु के समय किसान विकास पत्र स्कीम में ऋण देय होगा।

क्र.सं.	नामनिर्देशित व्यक्ति का नाम (पते) और संबंध	पूरा पता (पते)	नामनिर्देशिती का आधार नंबर (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नामनिर्देशित व्यक्ति की जन्म तिथि	पात्रता का हिस्सा	पात्रता की प्रकृति (न्यासकर्ता या स्वामी)
1						
2						
3						
4						

क्रम संख्या पर नामनिर्देशिती(ओं)के रूप में ऊपर वर्णित है/अवयस्क है(हैं), मैं/श्री/श्रीमती/कुमारी..... नियुक्त करता हूँ / का/पुत्र, का/पुत्री, का/पत्नी..... पता.....
..... नाता (ओं) के अल्पसंख्यक के दौरान मेरी मृत्यु की स्थिति में उक्त खाते के तहत राशि प्राप्त करता है।

- गवाह के हस्ताक्षर
- नाम और पता
- गवाह के हस्ताक्षर
- नाम और पता

खाता धारक/अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान
तारीख :.....

पोस्ट ऑफिस/बैंक के उपयोग के लिए

खाते को के नाम पर तारीख..... खाता सं.....द्वारा (स्कीम का नाम).....के अधीन.....रुपये के आरंभीक जमा के साथ.....को खोला गया है।
 ग्राहक पहचान संख्या
 नामांकन को तारीख संख्या द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर।

प्ररूप-2

[पैरा 5 के उप-पैरा (1) देखें]
(खाता बंद करने के लिए आवेदन)

डाकघर/बैंक का नाम _____

तारीख _____

खाता संख्या _____

1. मैं / हम इसके बाद पास बुक / जमा रसीद जमा करते हैं और _____ पर परिपक्व मेरे / हमारे उपर्युक्त खाते को बंद करने के लिए आवेदन करते हैं।

2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में पात्र शेष राशि का श्रेय _____ (खाता कार्यालय का नाम) पर खड़े मेरे एसबी खाता संख्या . _____ को दें।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट / अकाउंट पेयी चेक जारी करें

या

कृपया नकद में भुगतान करें (यदि राशि अनुमेय सीमा से कम है तो लागू)।

* प्रमाणित किया जाता है कि खाते में आयोजित राशि के उपयोग के लिए आवश्यक है, जो जीवित है और अभी भी अवयस्क है।

खाता धारक/ अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(अंगूठे के निशान को लेखा कार्यालय में जाने वाले व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

भुगतान आदेश
(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

तारीख

भुगतान का विवरण

मूल राशि रुपये. _____

(+) ब्याज देय रुपये. _____

(-) ओवरपेड ब्याज की वसूली. _____ रुपये

यदि कोई कटौती है _____ रुपये

देय कुल राशि _____ रुपये

भुगतान. _____ रुपये (आंकड़ों में) _____ (शब्दों में)

स्थान :

तारीख :

पोस्टमास्टर/मैनेजर के हस्ताक्षर

निस्तारण

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाना है)

नकद/चेक/डीडीबियरिंग

सं...

.....।

नहीं.....

तारीख

खाताधारक/अभिभावक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररूप-3**[पैरा 6 के उप-पैरा (1) देखें]****(खाता परिपक्वता पूर्व बंद करने के लिए आवेदन)**

सेवा में,

पोस्टमास्टर/प्रबंधक

.....
.....

महोदय,

1. मैं / हम नीचे दिए गए व्यौरे के अनुसार लागू जुर्माने की कौटती के पश्चात रकम को देने के लिए और किसान विकास पत्र स्कीम के अधीन खोले गए (_____ (केवल रुपए) _____ का संतुलन को परिपक्वता पूर्व मेरे / हमारे खाता संख्या (_____ बंद करने की आशा करते हैं :-

कृपया मेरे एसबी खाता संख्या _____ को _____
(खाता कार्यालय का नाम) पर राशि का श्रेय दें।

या

कृपया डिमांड ड्राफ्ट / आदाता खाता चेक जारी करें

या

कृपया नकद में भुगतान करें (लागू है यदि राशि अनुमेय सीमा से कम है)

3. मैं / हम इसके माध्यम से घोषणा करते हैं कि किसानविकास योजना योजना के तहत जिन शर्तों के तहत खाते को परिपक्वता से पहले बंद किया जा सकता है, उनका अनुपालन किया गया है।

* प्रमाणित है, कि खाते में रखी गई राशि का उपयोग पल उस पल झुलसने के लिए आवश्यक है.

तारीख :- खाताधारक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान / अभिभावक _____

(जमाकर्ता के अंगूठे का निशान लेखा कार्यालय में जाने वाले व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

**केवल कार्यालय उपयोग के लिए
भुगतान का विवरण**

खाते में पात्र शेष ` _____

कम जुर्माना राशि ` _____

कुल राशि का भुगतान किया जाना है ` _____ (आंकड़ों में)

(शब्दों में) _____

तारीख स्टाम्प

पोस्टमास्टर/मैनेजर के हस्ताक्षर

निस्तारण

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाना है)

नकद/चेक/डीडीबियरिंग सं... ..।

नहीं.....

तारीख

खाताधारक/अभिभावक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररूप-4

[पैरा 7 देखें]

(खाता को गिरवी रखने के लिए आवेदन)

सेवा में,

पोस्टमास्टर/प्रबंधक

.....

महोदय,

1. मैं / हम(सरकार के राजपत्रित अधिकारी का कार्यालय पदनाम या भारतीय रिजर्व बैंक या अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, रजिस्ट्रकृत सहकारी समिति, निगम, एक सरकारी कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण).....के साथ प्रतिभूती के रूप मेंरुपये की रकम को जमा करने की अपेक्षा

करते हैं। इसलिए मैं/हम (अधिकारी का कार्यालय पदनाम) या शाखा का नाम आदि जिसमें खाता प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा रहा है।)..... के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII जारी) के अधीन..... खाता संख्या में जमा को अन्तरित का अनुरोध करते हैं

खाते का विवरण

खाता संख्या	तारीख	खाता कार्यालय का नाम	राशि

ऊपर उल्लिखित प्राधिकरण ने प्रतिज्ञा को स्वीकार करने के लिए सहमति व्यक्त की है। प्रतिज्ञा के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिज्ञा स्वीकृति संलग्न है।

तारीख:.....

खाते के हस्ताक्षर धारक

(एस) /अभिभावक

पता.....

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

खाता संख्या _____ को पंजीकरण संख्या दिनांकित... और आवश्यक प्रविष्टियों को रिकॉर्ड में चिह्नित किया गया है। पासबुक / जमा रसीद / खाते का विवरण भी प्रतिज्ञा के साथ चिह्नित किया गया है और खाताधारक को वापस कर दिया गया है।

पोस्ट मास्टर/मैनेजर के हस्ताक्षर
सील

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

G.S.R. 920(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

- 1. Short title and commencement.**- (1) This Scheme may be called the Kisan Vikas Patra Scheme, 2019.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.**-(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “account” means an account opened under this Scheme;
 - (b) “account holder” means an individual in whose name the account is held;
 - (c) “Act” means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
 - (d) “Form” means forms appended to this Scheme;
 - (e) “General Rules” means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
 - (f) “year” means a period of twelve months commencing from the date of deposit in the account.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the General Rules.
- 3. Type of accounts.**- (1) On an application to the accounts office in Form-1, the following types of accounts can be opened under the Scheme, namely :-
 - (a) Single Holder Type Account;
 - (b) Joint A- Type Account; and
 - (c) Joint B- Type Account.